Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014
(PHALGUNA 9, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 28th February, 2014

No. 16—HLA of 2014/16.—The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2014 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 16—HLA of 2014

THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2014

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2014. Short title.

Amendment of section 2 of Haryana Act 16 of 1994.

2. In section 2 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), —

(i) after clause (9), the following clause shall be inserted, namely :—

'(9A) "Director" means the Director, Urban Local Bodies, Department, Haryana and includes any other officer for the time being appointed by the Government, by notification in the Official Gazette, to exercise and perform all or any of the powers and functions of the Director under this Act and the rules made thereunder;';

(ii) after clause (51), the following clause shall be inserted, namely :—

'(51A) "Secretary" means the Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department;'.

Amendment of section 346 of Haryana Act 16 of 1994.

3. For sub-section (1) of section 346 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely : —

"(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Director may, with the prior approval of the Government, by notification in the Official Gazette, declare any area within the Municipal area to be controlled area. In case any area within the Municipal area has already been declared as controlled area under the above said Act, then it shall be deemed to be controlled area for the purposes of this Act and if any plan has already been notified for such controlled area under the aforesaid Act then it shall also be deemed to be the plan for the purposes of this Act.".

Amendment of sections 346, 347, 348, 349, 350, 350A and 350B of Haryana Act 16 of 1994.

4. In sections 346, 347, 348, 349, 350, 350A and 350B of the principal Act, for the word "Commissioner", wherever occurring, the word "Director" shall be substituted.

Insertion of section 350D in Haryana Act 16 of 1994.

5. After section 350C of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"**350D. Effect of other laws.**–The acts already done under the provisions of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) within the Municipal area shall be deemed to have been validly done under this Act.".

Amendment of section 398 of Haryana Act 16 of 1994.

6. In sub-section (2) of section 398 of the principal Act, after the words "the Commissioner", the words "or the Director" shall be inserted.

7. After sub-section (2) of section 401 of the principal Act, the following sub-section shall be added, namely :— Amendment of section 401 of Haryana Act 16 of 1994

"(3) The Director may, with the approval of the Government, by an order in writing delegate any of its powers and functions under the Act or the rules made thereunder to any officer as may be specified in such order.".

8. (1) The Haryana Municipal Corporation (Third Amendment) Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No.3 of 2014), is hereby repealed. Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Municipal Corporations in the State of Haryana are governed by the Haryana Municipal Corporation Act, 1994. A provision is proposed to be made under Section 346 of the Act *ibid*, to adopt the Controlled Areas and Development Plans published under the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Act No. 41 of 1963) for the areas inside Municipal Corporation limits, for the purpose of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994. Further, to empower the Director, Urban Local Bodies to seek compliance of Controlled Areas/Development Plans, grant permission for change of land use and to carry out enforcement against illegal constructions within the Controlled Areas falling inside Municipal Corporation limits. Sections 346, 347, 348, 349, 350, 350A and 350B of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 are proposed to be amended.

In addition, Section 350D is proposed to be inserted in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 to make a provision that all the acts already done under the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Act No. 41 of 1963) within the Controlled Areas inside Municipal Corporation limits shall be deemed to be the acts done for the purpose of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994. Further, the Director, Urban Local Bodies is proposed to be empowered to delegate its powers and functions to any officer with the prior approval of the Government.

The Haryana Ordinance No. 3 of 2014 has already been promulgated by H.E. Governor of Haryana issued to this effect.

SAVITRI JINDAL,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh : SUMIT KUMAR,
The 28th February, 2014. Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2014 का विधेयक संख्या 16 - एच०एल०ए०

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है।

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,—

(i) खण्ड (9) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(9क) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा तथा इसमें इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन निदेशक की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तत्समय नियुक्त किया गया कोई अन्य अधिकारी भी शामिल है;';

(ii) खण्ड (51) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(51क) "सचिव" से अभिप्राय है, सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग;'।

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 346 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 346 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1) पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन

अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, निदेशक, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र को नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है। यदि नगरपालिका क्षेत्र के भीतर कोई क्षेत्र उपरोक्त अधिनियम के अधीन पहले से ही नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, तब इसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में समझा जाएगा तथा यदि कोई योजना पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन ऐसे नियन्त्रित क्षेत्र के लिए पहले से ही अधिसूचित की गई है, तब यह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भी योजना के रूप में समझी जाएगी।"।

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 346, 347, 348, 349, 350, 350क तथा 350ख का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धाराओं 346, 347, 348, 349, 350, 350क तथा 350ख में, "आयुक्त" शब्द, जहां कहीं भी आए, के स्थान पर, "निदेशक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 350घ का रखा जाना।

5. मूल अधिनियम की धारा 350ग के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

"350घ. **अन्य विधियों का प्रभाव.**–पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) के उपबन्धों के अधीन नगरपालिका क्षेत्र के भीतर पहले से किए गये कार्य इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य किये गये समझे जाएंगे।"।

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 398 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 398 की उपधारा (2) में, "आयुक्त", शब्द के बाद, "या निदेशक" शब्द रखे जाएंगे।

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 401 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 401 की उपधारा (2) के बाद, निम्नलिखित उपधारा, जोड़ दी जाएगी, अर्थात् :–

"(3) निदेशक, सरकार के अनुमोदन से, लिखित आदेश द्वारा, अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों तथा कृत्यों को ऐसे आदेश में यथाविनिर्दिष्ट किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

8. (1) हरियाणा नगर निगम (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2014 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा राज्य में नगर निगम, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 द्वारा शासित किये जाते हैं इस अधिनियम की धारा 346 में यह प्रस्तावना की गई है कि नगर निगम सीमा में आने वाले क्षेत्रों के लिये पंजाब अनुसूचित सड़क तथा अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम 41) के अन्तर्गत प्रकाशित नियन्त्रित क्षेत्र एवं विकास प्लान को अपनाया जाये । नगर निगम सीमाओं के भीतर पड़ने वाले नियन्त्रित क्षेत्रों में नियन्त्रित क्षेत्र/विकास प्लान की पालना हेतु, भू उपयोग में परिवर्तन की अनुमति देने हेतु तथा अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय को सशक्त करने के लिये हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 2014 की धारा 346, 347, 348, 349, 350, 350 ए तथा 350 बी में संशोधन करना प्रस्तावित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में धारा 350 डी शामिल करना प्रस्तावित किया गया है जिसमें यह प्रावधान होगा कि ऐसे नियन्त्रित क्षेत्रों में पंजाब अनुसूचित सड़क तथा अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम 41) के तहत पहले से किये गये समस्त कार्यों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के उद्देश्य के लिये किये गये कार्य समझे जायेंगे। निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय को अपनी शक्तियां तथा कार्यकलाप सरकार की पूर्व अनुमति से किसी अन्य अधिकारी को सौंपने हेतु सशक्त करना प्रस्तावित किया गया है ।

इस उद्देश्य के लिये महामहिम राज्यपाल द्वारा 2014 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3 पहले ही प्रख्यापित किया गया है ।

सावित्री जिन्दल,
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 28 फरवरी, 2014.

सुमित कुमार,
सचिव।